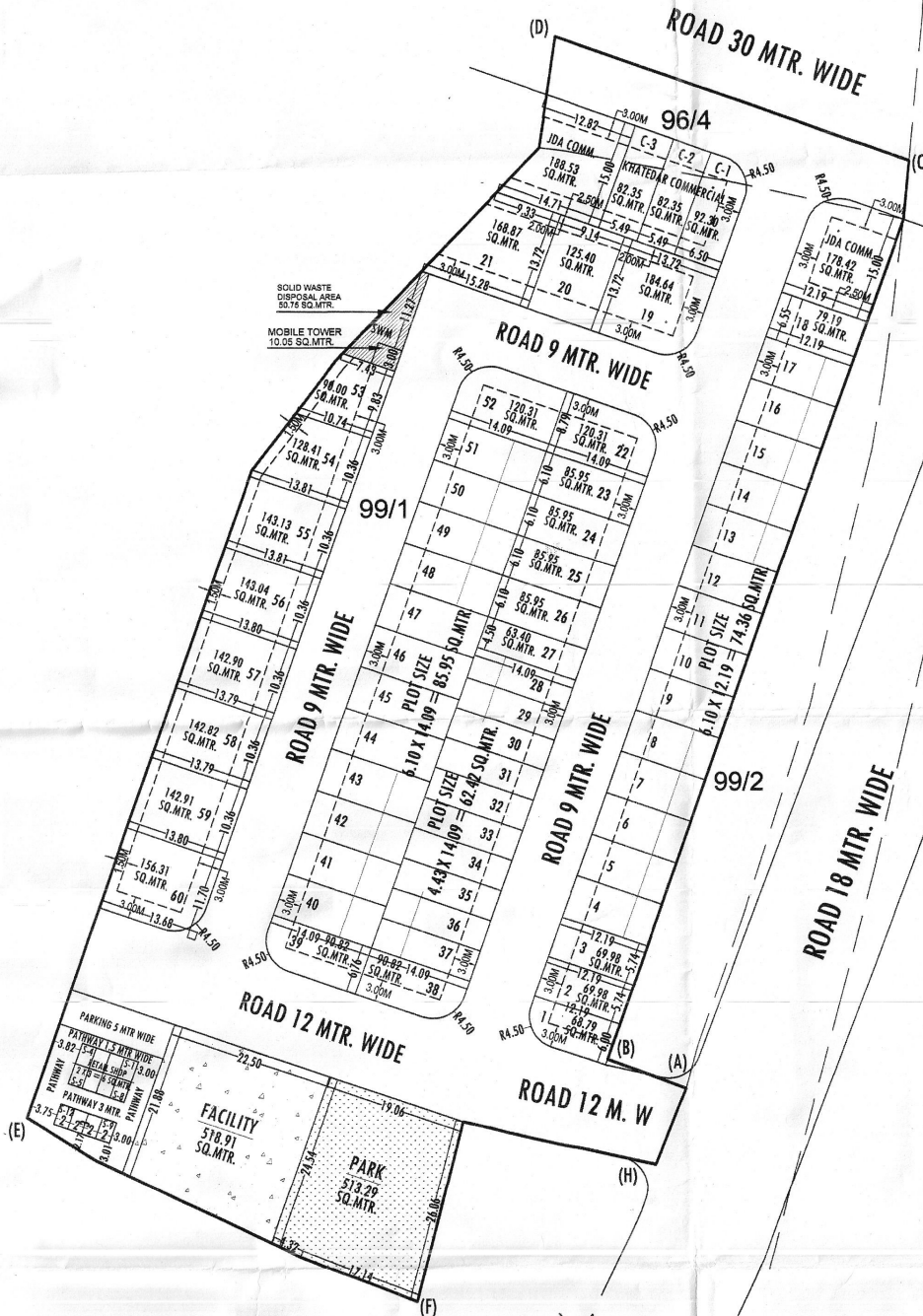


PROPOSED LAY OUT PLAN " SHIV KUNJ "

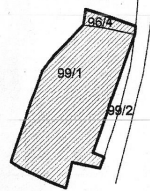
AT VILLAGE - PEETHAWAS (HATHOJ), TEHSIL-JAIPUR, JAIPUR

975
B
15.2.22

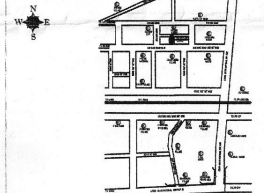


J.D.A.

KHASRA MAP :-



KEY PLAN :-



मास्टर विकास योजना 2025 के अनुसार भू उपयोग
बूखण्डों की निर्माण स्थिति :-
1. आवासीय बूखण्ड - 60
2. बुनियादी व्यवसायिक बूखण्ड - 92
3. सेक्टर व्यवसायिक जमिना बूखण्ड - 2
4. सेक्टर व्यवसायिक खालियार बूखण्ड - 2

LAND USES OF SCHEME :-

S.No.	LAND USED	AREA IN (SQ.MTR.)	AREA IN (%)
1	RESIDENTIAL PLOT	5380.52	53.28 %
2	RETAIL SHOPS	72.00	00.71 %
TOTAL (1+2)		5452.52	53.99 %
3	PARK	513.29	05.08 %
4	FACILITY	518.91	05.14 %
5	SOLID WASTE/MT	50.76	00.50 %
6	MOBILE TOWER	10.05	00.10 %
7	ROAD	3552.12	35.19 %
TOTAL (3+4+5+6)		4645.13	46.01 %
TOTAL SCHEME AREA		10097.65	100.00 %
1.	KHATEDAR COM.	257.00	25.00 %
2.	J.D.A. COM.	366.95	35.70 %
3.	SEC. ROAD	404.05	39.30 %
APPLIED AREA		1028.00	100.00 %
TOTAL AREA (A TO H)		11125.65	100.00 %

SCHEME NAME :- " SHIV KUNJ "
AT VILLAGE - PEETHAWAS (HATHOJ), TEHSIL-JAIPUR, JAIPUR
ZONE NO. :- 12
SCALE :- 1:500
NORTH :-

A.T.P. D.T.P. S.T.P.
CONSULTANT :-



योजना मानचित्र पर खसरा सुपर इम्पोज जोन के अमीन द्वारा किया गया है ।

अमीन
जोन-12

Shri Choudhary Dream House Builders LLP
अधीन
जोन-12

- नोट
- कार्णर के बूखण्डों का क्षेत्रफल नियमानुसार कम किया जाना है।
 - आवेदित भूमि की 90ए की कार्यवाही दिनांक 22.11.2021 को हो चुकी है।
 - योजना की भूमि में रा.भू.रा.अधिनियम की धारा 90ए की कार्यवाही प्राधिकृत अधिकारी द्वारा एवं मौके पर प्रमाणीकरण तहसीलदार द्वारा किया गया है।
 - टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार आन्तरिक विकास के एवज में आवेदक द्वारा बूखण्ड संख्या 19, 20, 21, 63 एवं बूखण्ड संख्या 54 कुल बूखण्ड 5 कुल क्षेत्रफल 699.32 वर्गमीटर है, जो जमिना में अनुमोदित योजना के 12.50 प्रतिशत क्षेत्रफल के पेटे रहन रखा गया है। बूखण्डों का आवंटन/पट्टा विकासकर्ता द्वारा विकास कार्य पूर्ण होने पर या विकास शुल्क जमा कराकर अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने पर ही किया जावेगा।
 - योजना का अनुमोदन बी.पी.सी. (एल.पी.) की 312 वीं बैठक दिनांक 30.12.2021 को किया जा चुका है, जिसके निर्णय की अनुपालना में योजना मानचित्र जारी किया गया है।
 - योजना का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना 2011 के अन्तर्गत भू-उपयोग ग्रामीण एवं मास्टर विकास योजना 2026 के अन्तर्गत भू-उपयोग सेक्टर कॉमर्शियल व आवासीय है।
 - बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार पूर्व में मुख्यमंत्री जन आवास योजना 2015 प्रोजेक्ट 3-बी के तहत अनुमोदित योजना के क्षेत्रफल एवं उक्त योजना में अनुमोदित सुविधा क्षेत्र एवं पार्क के क्षेत्रफल को ध्यावत रखते हुए सामान्य आवासीय अनुमोदन किया गया।
 - योजना मानचित्र टाउनशिप पोलिसी 2010 के अनुसार जारी किये जाने हेतु तैयार किया गया है।
 - बीपीसी (एलपी) के निर्णय अनुसार योजना के बूखण्डों पर पैरामीटर्स एवं सेटबैक्स जमिना (जयपुर रोजन भवन) विनियम 2020 के अनुसार रखा गया है।

सहायक नगर नियोजक
जोन-12

तहसीलदार
जोन-12

उपायुक्त
जोन-12

वरिष्ठ नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक
बी.पी.सी. (एल.पी.)

CAD MAX CONSULTANCY PVT. LTD.
301-302, Prism Tower,
Opp. Rajasthan Police Head Quarter,
Lal Kothi Scheme, Jaipur
Ph: 0141-4119111